

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स.रा.घ.उ.)

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.88	10.99	10.40	10.82	9.96
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,88,567	2,18,525	2,06,613	2,35,560	2,55,271
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.92	15.89	(-) 5.45	14.01	8.37
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,65,816	1,86,534	1,74,881	1,94,475	2,03,358
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.57	12.49	(-) 6.25	11.20	4.57
चालू मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ (₹ में)	लागू नहीं	99,728	1,14,424	1,19,375	1,29,800
चालू मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ (₹ में)	लागू नहीं	66,220	61,676	69,487	74,390

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी स.घ.उ./स.रा.घ.उ. के आँकड़े।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

राज्य की रूपरेखा परिशिष्ट 1.1-भाग क में दिया गया है। सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या भाग 'ख' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग 'ग' में है।

1.1.1 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 2016-17 के सम्मुख 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.2 2017-18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18		
खण्ड क : राजस्व					स्थापना	राज्य और केंद्र योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	47,053.93	52,756.03	राजस्व व्यय	45,089.04	27,952.98	22,999.09	50,952.07
स्वयं का कर राजस्व	13,299.25	12,353.44	सामान्य सेवायें	13,023.76	16,105.92	452.41	16,558.33
कर-भिन्न राजस्व	5,351.42	7,846.67	सामाजिक सेवायें	18,557.37	6,834.83	12,740.14	19,574.97
संघीय कर एवं शुल्क	19,141.92	21,143.63	आर्थिक सेवायें	13,507.91	5,012.23	9,806.54	14,818.77
भारत सरकार से अनुदान	9,261.35	11,412.29	सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड ख : पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	25.09	पूँजीगत परिव्यय	10,860.68	69.14	11,883.57	11,952.71
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	38.46	42.41	संवितरित ऋण व अग्रिम	1,335.06	88.80	1,762.87	1,851.67
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	7,081.42	8,136.85	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,077.88	2,949.50	0.00	2,949.50
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ [#]	22,051.80	27,833.30	लोक लेखा संवितरण [#]	16,819.82	22,885.14	0.00	22,885.14
रोकड़ का आरंभिक शेष	1,904.72	1,947.85	रोकड़ का अंत शेष	1,947.85	150.44	0.00	150.44
कुल	78,130.33	90,741.53	कुल	78,130.33	54,096.00	36,645.53	90,741.53

स्रोत: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं।

वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में नीचे प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.52	20.77	28.74	15.79	12.12
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	22,984	26,944	34,397	38,847	42,027
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)0.69	17.23	27.66	12.94	8.19
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	13.86	14.44	19.67	19.98	20.67
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.31	35.46	14.96	23.35	13.00
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	20,640	27,140	30,939	37,225	40,590
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)5.60	31.49	14.00	20.32	9.04
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	12.45	14.55	17.69	19.14	19.96
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,722	5,543	8,159	10,861	11,952
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.95	17.39	47.19	33.12	10.05
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,152	4,732	6,906	8,967	9,522
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.36	13.95	45.96	29.84	6.19
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.50	2.54	3.95	4.61	4.68

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति हेतु लेखांकित करने के पश्चात भी स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। पूर्व के वर्षों की तुलना में 2017-18 में पूँजी निर्माण में वृद्धि की दर काफी कम थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं के आधार पर बजट में उपबंधित और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी में लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दिया गया है। झारखण्ड सरकार ने 2015-16 के दौरान उदय (उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना) बॉण्ड पर बाज़ार से ₹ 5,553 करोड़ उधार लेकर और समेकित निधि से ₹ 583 करोड़ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) को प्रदान किया। इसके बाद, उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया और परिणामस्वरूप, 2017-18 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे पर उदय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

तालिका 1.4 : मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2017-18			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य (+)	शून्य	(+)2.77	(+)3.04	(+)0.71
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.25	2.49	2.72	4.67
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	25.77	26.65	26.65	30.20

वर्ष 2006-07 में राज्य ने राजस्व घाटा को समाप्त कर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर राजस्व घाटे को, वर्ष 2014-15² के अलावा, राजस्व आधिक्य में परिवर्तित कर लिया। 2017-18 में ₹ 1,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य, स.रा.घ.उ. (0.71 प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में, एम.टी.एफ.पी. अनुमान (2.77 प्रतिशत) और बजट अनुमान (3.04 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 11,933 करोड़) वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. का 4.67 प्रतिशत था, जो चौ.वि.आ. द्वारा 3.25 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक था। इसके अलावा, राज.घा.-स.रा.घ.उ. अनुपात एम.टी.एफ.पी. के अंतर्गत लक्ष्य और वर्ष के बजट अनुमान का लगभग दोगुना था।

2017-18 के दौरान, राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 30.20 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.पी. अनुमान (26.65 प्रतिशत) और चौ.वि.आ. अनुशंसा (25.77 प्रतिशत) से काफी अधिक था। उच्च ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्ष के दौरान राज्य पर ऋण के बोझ में वृद्धि का संकेत था।

अनुशंसा : राज्य को अपनी राजकोषीय स्थिति मजबूत करने हेतु चौ.वि.आ. के मानक अनुमानों और एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

² ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-08		
राजकोषीय घाटे का संयोजन		2,256	6,564	11,523	10,192	11,933		
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	2,665	(-)230	4,085	1,965	1,804		
2	निवल पूँजीगत व्यय	4,722	5,543	8,159	10,861	11,928		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	199	791	7,449	1,296	1,809		
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिये गये उधार	2,535	4,488	4,755	4,725	5,999	1,192	4,807
2	भारत सरकार से ऋण	(-)33	(-)5	(-)2	77	232	161	71
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	129	335	573	(-)733	0	746	(-)746
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	455	(-)8	5,673	934	1,905	851	1,054
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	9	(-)202	(-)159	(-)121	1,016	950	66
6	आरक्षित निधि	271	275	10	383	401	109	292
7	जमा एवं अग्रिम	(-)254	1,093	2,111	5,031	15,651	10,929	4,722
8	उचंत एवं विविध	(-)1	(-)13	17	(-)30	(-)163	61	(-)224
9	प्रेषण	157	(-)238	1	(-)30	10,559	10,466	93
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)50	-	-	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	580	841	(-)1,461	(-)43	1948	150	1,798

* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान, 2017-18 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 11,933 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,807 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 4,722 करोड़) से किया गया।

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय³ पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

³ राजस्व, पूँजीगत और ऋण व अग्रिम पर व्यय लेकिन ब्याज भुगतान नहीं

तालिका 1.6: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2013-14	26,160	20,858	4,722	222	25,802	(+)5,302	(+)358
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-)3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020
2017-18	52,824	46,290	11,953	1,852	60,095	(+)6,534	(-)7,271


स्रोत: संबंधित वर्षों का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.6 में प्राथमिक घाटों का अवयव घाटे के उस परिमाण को इंगित करता है जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण है जो कि राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के उन्नयन हेतु वांछनीय हो सकता है।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, कई कारणों से जो सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों प्रकार के हैं, अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.1 2017-18 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2017-18

टिप्पणी: कर राजस्व में संघीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2017-18 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम था। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ अपने बजट अनुमान से ₹ 13,222 करोड़ से कम थी, जो मुख्य रूप से कर राजस्व में ₹ 7,615 करोड़ और कर भिन्न राजस्व से बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 3,411 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 7,270 करोड़ से) में कमी मुख्यतः बजट अनुमानों की तुलना में सामाजिक सेवाओं (₹ 3,603 करोड़ से) और आर्थिक सेवाओं (₹ 3,265 करोड़ से) पर कम खर्च के कारण हुई।


वर्ष के दौरान, राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 789 करोड़ कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।



1.2 राज्य के संसाधन

उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.2 से चार्ट 1.4 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18




स्रोत : झारखण्ड सरकार के वर्ष 2016-17 व 2017-18 के वित्त लेखे

2017-18 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा (रा.प्रा./कु.प्रा.) एक प्रतिशत बढ़ा, जबकि कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत कम रहा। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 2016-18 के दौरान समान रहा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और संयोजन परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.5 में प्रस्तुत किए गए हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

राज्य का अपना राजस्व भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. तथा जी.आई.ए.) से कम था। 2017-18 के दौरान, सहा.अनु. और करों का केंद्रीय हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा (क्रमशः 23.20 प्रतिशत और 10.50 प्रतिशत), जबकि राज्य राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में केवल 8.30 प्रतिशत थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.7 : स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	5.52	20.77	28.74	15.79	12.12
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर (प्रतिशत)	13.86	14.44	19.67	19.98	20.67
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर (प्रतिशत)	15.76	16.92	23.24	24.20	25.94
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ. स्थिर मूल्य पर	5.66	5.55	6.56	6.84	6.07
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर	7.92	15.89	-5.45	14.01	8.37
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर	1.57	12.49	-6.25	11.20	4.57

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14वें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2017-18 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	18,867	18,401	12,353
कर-भिन्न राजस्व	5,357	11,257	7,847
स्व कर राजस्व से स.रा.घ.उ	7.39	7.21	4.84

स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज़ तथा 2017-18 का वित्त लेखा

आकलन एवं अनुमान के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः अनुमानों से वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,442 करोड़ से), राज्य उत्पाद (₹ 759 करोड़ से) के कम संग्रहण के कारण थी, जबकि कर-भिन्न राजस्व में यह अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से राजस्व के कम संग्रह (₹ 2,567 करोड़ से) के कारण था।

पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछले पाँच वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर राजस्व (ओ.टी.आर.) का अनुपात तालिका 1.9 में दिखाया गया है।

तालिका 1.9: स.रा.घ.उ. से ओ.टी.आर. अनुपात और पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

राज्यों के नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
झारखण्ड	4.97	4.74	5.56	5.65	4.84
बिहार	6.29	6.05	6.89	5.57	4.74
ओडिशा	5.70	6.31	6.81	6.06	6.71
पश्चिम बंगाल	5.29	5.49	5.33	5.17	5.16
छत्तीसगढ़	6.93	7.10	7.29	7.22	6.82

जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, झारखण्ड का स.रा.घ.उ. से ओ.टी.आर. अनुपात (4.84 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 6.71, 5.16 और 6.82 प्रतिशत) के अनुपात से काफी कम था, जबकि यह वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के अनुपात (4.74 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक था।

1.3.1.1 कर-राजस्व

प्रमुख करों और शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.10 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी. आर.*	2017-18 में संग्रहण पर व्यय (प्रतिशत)	संग्रहण पर व्यय (2016-17) (प्रतिशत)	2016-17 में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत 2016-17
बिक्री, व्यापार पर कर,एस.जी.एस.टी.** इत्यादि	7,305	8,070	8,999	10,549	9,839	7.73	0.64	0.47	0.69
राज्य उत्पाद	628	740	912	962	841	7.57	2.35	1.74	2.01
वाहनों पर कर	495	660	633	682	778	11.97	0.82	0.91	2.61
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	502	531	532	607	469	(-)-1.69	3.63	2.85	2.99
भू राजस्व	230	84	164	240	156	(-)-9.25	-	-	-
सामाग्रियों तथा यात्रियों पर कर	1	1	0	0	0	-	-	-	-
अन्य कर	219	264	239	259	270	5.37	-	0.82	-
कुल कर राजस्व	9,380	10,350	11,479	13,299	12,353	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* सी.ए.जी.आर.: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

** एस.जी.एस.टी.: राज्य वस्तु एवं सेवा कर

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियाँ 7 प्रतिशत तक घटीं। बिक्री व्यापार पर कर और एस.जी.एस.टी. में कमी की भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ति (₹1,265 करोड़) की गयी जैसा कि कंडिका 1.3.3. में वर्णित है। 2017-18 के दौरान राज्य उत्पाद के अंतर्गत प्राप्तियाँ ₹ 121 करोड़ तक कम हो गयीं क्योंकि राज्य सरकार ने मदिरा की बिक्री को अगस्त 2017 से अपने हाथ में ले लिया था और परिणामस्वरूप दुकानों की संख्या कम हो गयी। ₹ 50 लाख तक के मूल्य वाले भूखंड/घर के प्रथम निबंधन पर महिलाओं को दिये गये छूट के परिणामस्वरूप मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से प्राप्तियों में भी कमी आयी (₹ 138 करोड़)। सरकारी भूमि के बंदोबस्ती की नीति में संशोधन के कारण 2017-18 के दौरान राज्य का भू राजस्व (₹ 84 लाख तक) घटा।

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया गया है, 2017-18 के दौरान राज्य में करों के संग्रह की लागत राज्य उत्पाद शुल्क और मुद्रांक व निबंधन शुल्क के संबंध में अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक थी। अग्रतर, 2017-18 में, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद इन शीर्षों के अंतर्गत करों के कम संग्रह के कारण राज्य में करों के संग्रह पर व्यय पिछले साल की तुलना में सभी करों के मामले में, वाहनों पर करों को छोड़कर, अधिक थी, जबकि संग्रह पर व्यय समान था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.)

वर्ष 2017-18 के दौरान संग्रह किए गए कर-भिन्न राजस्व 14वें वित्त आयोग द्वारा उस वर्ष हेतु ₹ 5,357 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 7,847 करोड़ थे।

2013-18 के दौरान संग्रह किए गए घटक-वार कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: घटक-वार कर-भिन्न राजस्व

	(₹ करोड़ में)				
राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ब्याज प्राप्तियाँ	69.48	143.04	122.44	121.34	168.88
लाभांश एवं लाभ	18.00	0.00	0.47	0.00	0.00
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	3,665.23	4,192.02	5,730.11	5,230.07	7,677.79
कुल	3,752.71	4,335.06	5,853.02	5,351.41	7,846.67

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. का हिस्सा वर्ष 2016-17 में 11.37 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 14.87 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान नौ प्रतिशत कमी की तुलना में, पिछले वर्षों के सापेक्ष 2017-18 में कर भिन्न राजस्व मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,847 करोड़), अन्य सामाजिक सेवाओं (₹ 168 करोड़) तथा फसल कृषि व्यवस्था (₹ 160 करोड़) में अधिक प्राप्तियों के कारण 46.64 प्रतिशत तक बढ़ा।

अनुशंसा: सरकार को बजट दस्तावेज में दी गई प्राप्तियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजना अनुदान	1,319.91	1,780.26	1,685.82	1,875.29	-
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1,565.83	4,914.69	4,950.18	6,792.89	-
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	28.28	83.56	50.90	78.01	-
केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1,150.96	614.17	650.74	515.16	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	-	-	7,985.24
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	1,583.03
अन्य अनुदान	-	-	-	-	1,844.02
कुल	4,064.98	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	(-)16.00	82.00	(-)0.74	26.21	23.22
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	15.55	23.42	18.06	19.68	21.63

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

टिप्पणी: वर्ष 2017-18 व उसके बाद से भारत सरकार के अनुदानों के उप-मुख्य शीर्ष और नामपद्धति बदल दिए गये हैं। इसलिये इसे तालिका में पृथक दर्शाया गया है।

भारत सरकार से अनुदान 2016-17 के ₹ 9,261.35 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 11,412.29 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से हुई राजस्व हानि हेतु राज्य को प्राप्त (₹ 1,539.90 करोड़⁴) क्षतिपूर्ति था।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.13 : केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	8,939	9,487	15,969	19,142	21,144	24.02
राजस्व प्राप्तियों में सी.टी.टी. का अंश	34.20	30.06	39.30	40.68	40.08	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

⁴ सी.एस.टी. की चरणबद्ध समाप्ति के कारण हुई राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से 2012-13 से संबंधित क्षतिपूर्ति के रूप में 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 274.90 करोड़ सम्मिलित।

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2017-18 में सी.टी.टी. में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 299 करोड़) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,134.44 करोड़) के अंतरण के कारण था। 2017-18 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.08 प्रतिशत था ।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पाँच वर्ष के लिए राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को मुआवजा देगी। राज्यों के देय मुआवजे की गणना भारत के सीएजी द्वारा अंकेक्षित अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. में आत्मसात करों का एक आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आँकड़ा जी.एस.टी. अधिनियम के तहत तय किया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। किसी भी वर्ष हेतु एक राज्य में अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू कर निकाला जाएगा।

वर्ष 2017-18 का अनुमानित राजस्व आधार वर्ष के आँकड़े के अनुरूप ₹ 8,331.10 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार झारखण्ड के अनुमानित द्विमासिक राजस्व आँकड़ा ₹ 1,388.52 करोड़ था जो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 6,248.34 करोड़ था। जी.एस.टी. के अंतर्गत वर्ष 2017-18 का राजस्व आँकड़ा वित्त लेखाओं में उनकी प्राप्तियों की प्रकृति अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी और आइ.जी.एस.टी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) में इनपुट टैक्स क्रेडिट तिर्यक उपयोग, कर घटक के आइ.जी.एस.टी.-ट्रांसफर-इन का एस.जी.एस.टी. में संविभाजन और आइ.जी.एस.टी. से अग्रिम संविभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। ₹ 6,248.34 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान राजस्व प्राप्ति तालिका 1.14 में दी गई है।

**तालिका 1.14: अनुमानित राजस्व और जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक
एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. संग्रह**

माह	रक्षित राजस्व	जी.एस.टी. पूर्व संग्रहित कर*	संग्रहित एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. अनंतिम संविभाजन	कुल प्राप्त राशि**	प्राप्त मुआवजा ***	कम प्राप्ति (-)/ अधिक प्राप्ति (+)
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7= {(5+6) -1}
जुलाई एवं अगस्त 2017	1,388.52	1110.27	326.43	0	1,436.70	313.00	361.18
सितम्बर एवं अक्टूबर 2017	1,388.52	571.59	648.82	0	1,220.41	489.00	320.89
नवम्बर एवं दिसम्बर 2017	1,388.52	619.45	954.64	0	1,574.09	94.00	279.57
जनवरी एवं फरवरी 2018	1,388.52	663.64	1,112.42	0	1,776.06	369.00	756.54
मार्च 2018	694.26	1037.75	800.57	281	2,119.32	0.00	1,425.06
कुल	6,248.34	4,002.70	3,842.88	281.00	8,126.58	1,265.00	3,143.24

*वैट व सी.एस.टी. (शुद्ध वापसी) और पेट्रोलियम उत्पादों तथा मदिरा पर वैट व सी.एस.टी. को छोड़कर जी.एस.टी. में आत्मसात करों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित है।

** आँकड़े लेखापरीक्षित हैं।

*** क्षतिपूर्ति के आँकड़े औपबंधिक हैं।

आई.जी.एस.टी. का अग्रिम संविभाजन और जी.एस.टी. मुआवजे के विरुद्ध इसका समायोजन

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों के बीच एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का संविभाजन भारत सरकार को करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 281 करोड़ के संविभाजन का अनंतिम/अग्रिम भुगतान इस शर्त पर संस्वीकृत किया (मार्च 2018) कि यह राशि अप्रैल 2018 से प्रारंभ दस समान किस्तों के मासिक वापसी के आधार पर आई.जी.एस.टी. के नियमित भुगतान से वर्ष 2018-19 में समायोजित होगी।

1.3.4 त्यक्त राजस्व

1.3.4.1 करों का अल्प-निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

2017-18 के दौरान, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क और खनन प्राप्तियों से संबंधित 57 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच ने 8,136 मामलों में कुल ₹ 1,255.35 करोड़ राजस्व के अल्प-निर्धारण/अल्प आरोपण/हानि उद्घाटित किया। 2017-18 के दौरान, संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 7,159 मामलों में ₹ 39.28 करोड़ के अल्प निर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। तथापि, इस संबंध में की गयी वसूली अभी तक लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है।

1.3.4.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2018 तक, राजस्व के संग्रह में ₹ 6,355.57 करोड़ (वाणिज्य कर विभाग) बकाया था, जिसमें से ₹ 1,646.43 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। अग्रतर, ₹ 1,580.03 करोड़ न्यायालय तथा अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था। अन्य विभागों से राजस्व बकाया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2019)। 31 मार्च 2018 को कुल राजस्व बकाया 2016-17 के दौरान 23 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य के अपने संसाधनों का 31 प्रतिशत था।

1.3.5 श्रम सेस

भवन और अन्य निर्माण कर्मी कल्याण सेस नियमावली 1998 की धारा 5 के अनुसार, संवेदकों से श्रम सेस के रूप में संग्रहित राशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2017-18 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से सेस के रूप में ₹ 393.67 करोड़ संग्रहित किया गया था। संग्रहित किए गए सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड (मार्च 2019) को अंतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है जैसा कि कंडिका 3.11 में चर्चा किया गया है।

1.3.5.1 श्रम सेस का लेखांकन एवं उपयोगिता

यह देखा गया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने शुरूआत से ही लेखाओं का अंतिम रूप नहीं दिया है (जुलाई 2008)। तथापि, सेस की प्राप्तियाँ एवं उपयोगिता जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया तालिका 1.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उसकी उपयोगिता का विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई राशि	बोर्ड के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई राशि	कुल प्राप्तियाँ	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर खर्च की गई राशि	स्थापना पर खर्च की गई राशि	कुल व्यय	उपयोग में नहीं लाई गई शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{(2+3)=4}	(5)	(6)	{(5+6)=7}	{(4-7)=8}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	31.40	31.40	41.64	0.90	42.54	-11.14
कुल	5.08	353.82	358.90	194.05	3.85	197.90	161.00

वर्ष 2009-10 से 2017-18 की अवधि के दौरान, बाईस कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 194.05 करोड़ खर्च किए गए, जबकि ₹ 3.85 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए।

अनुशंसा: झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण कर्मी (भ.व.अ.नि.क.) कल्याण बोर्ड को वार्षिक लेखाओं की समयबद्ध तैयारी और लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इसकी प्रस्तुति हेतु कदम उठाना चाहिए।

झारखण्ड सरकार को यथाशीघ्र श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड में अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि भ.व.अ.नि.क. कल्याण बोर्ड भवन व अन्य निर्माण कर्मियों के काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने व उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं। 2013-18 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.16 में दिये गये हैं।

तालिका 1.16 : वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और प्राप्तियों का संयोजन

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	4,726.00	6,723.00	13,276.00	7,120.00	8,204.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 ⁵
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23.00	33.00	31.00	38.00	42.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	4,703.00	6,690.00	13,245.00	7,081.00	8,137.00
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)9.50	42.30	98.00	(-)47.00	15.00
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)46.51	43.48	(-)6.06	22.58	76.32
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. के वृद्धि की दर	7.92	15.89	-5.45	14.01	8.37
पूँ.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	(-)9.54	42.25	97.98	(-)46.54	14.90

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत तक बढ़ीं। उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ एकमुश्त उधार लेने के कारण 2015-16 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2016-18 के दौरान उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

⁵ 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों के विनिवेश के कारण ₹ 25 करोड़ की विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूलियों के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 1.17: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋणों का आरंभिक शेष	7,748	7,947	8,738	16,187	17,482 [#]
दिये गये ऋण	222	824	7,480	1,335	1,852
की गई वसूली	23	33	31	39	42
ऋणों का अंतिम शेष	7,947	8,738	16,187	17,483	19,292

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

[#] पूर्णांक किए के कारण समायोजित

प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों का प्रमुख प्राप्तकर्ता डिस्कॉम था, लेकिन उसके विरुद्ध कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2018 के अंत में ₹ 18,444 करोड़ का बकाया हो गया। डिस्कॉम के कुल बकाया ऋण में ₹ 7,222.18 करोड़ की राशि भी शामिल था, जो झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का जनवरी 2014 में इसके विभाजन से पूर्व का बकाया ऋण था और अंतिम निष्पादन हेतु सरकारी खाते में रखा गया था। 2017-18 के दौरान, डिस्कॉम को ₹ 1,761 करोड़ का नया ऋण दिया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ₹ 42 करोड़ की वसूली मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण व अग्रिमों से थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 4,597 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,905 करोड़ हो गया। हालाँकि, 2015-16 के दौरान, यह उदय बॉण्ड पर लिये गये उधार के कारण ₹ 13,080 करोड़ था।

तालिका 1.18: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार का आंतरिक ऋण	4,597	6,537	13,080	6,847	7,905
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	12,841	19,809	33,843	19,193	25,205
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	35.80	33.00	38.65	35.67	31.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों पर प्रतिफल की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधार के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गई है।

1.4.2.1 डिस्कॉम्स हेतु उदय बॉण्ड पर उधार

राज्य डिस्कॉम्स के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार हेतु, राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान ₹ 6,136 करोड़ का ऋण जे.बी.वी.एन.एल. को दिया जिसमें से ₹ 5,553 करोड़ उदय बॉण्ड पर उधार के रूप में जुटाए गए और ₹ 583.00 करोड़ राज्य के समेकित कोष से दिए गए। उदय बॉण्ड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से उठाया गया है, जो कि वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच चुकाया जाना था, जबकि जे.बी.वी.एन.एल. को दिए गए ऋण की ब्याज दर प्रति वर्ष 13 प्रतिशत थी।

2016-17 और 2017-18 के दौरान उदय बॉण्ड पर राज्य द्वारा कोई उधार नहीं लिया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.16: लोक लेखा प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,275	20,189	29,037	22,052	27,833
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	760	843	830	873	1,016
आरक्षित निधि	293	308	522	453	401
जमा व अग्रिम	7,204	12,182	19,499	11,145	16,020
उचंत तथा विविध	-59	18	161	300	-163
प्रेषण	6,077	6,838	8,025	9,281	10,559


स्रोत झारखण्ड :सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान जमा और अग्रिम में वृद्धि मुख्य रूप से डिस्कॉम्स कंपनियों के व्यक्तिगत बही खातों में क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राज्य बिजली बोर्ड कार्यकारी निधि (₹ 1,370 करोड़ से) और 'अन्य निधि' (₹ 2,160 करोड़ से) के रूप में दर्ज की गई थी।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 विगत पाँच वर्षों (2013-18) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

2017-18 के दौरान, पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) वर्ष 2016-17 के ₹ 10,861 करोड़ के विरुद्ध ₹ 11,953 करोड़ बढ़ा। वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ से पूँ.व्य. का प्रतिशत 2016-17 के 4.61 प्रतिशत के विरुद्ध 2017-18 के दौरान 4.68 प्रतिशत था। 2014-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि हुआ।

पूँजीगत व्यय का वृहत हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 9,618 करोड़) पर था। परिवहन (₹ 5,142 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 2,093 करोड़) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,689 करोड़) पर व्यय को प्राथमिकता दी गई।

झारखण्ड के स.रा.घ.उ से पूँजीगत व्यय का अनुपात (4.68) पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ (क्रमशः 1.90 और 3.43) की तुलना में अधिक था। तथापि, यह बिहार और ओडिशा (क्रमशः 5.93 और 5.07) के अनुपात से कम था। पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछले पाँच वर्षों के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ से पूँ.व्य. के अनुपात की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.20 में दिखायी गयी है।

तालिका 1.20: स.रा.घ.उ से पूँजीगत व्यय का अनुपात और पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
झारखण्ड	2.50	2.54	3.95	4.61	4.68
बिहार	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93
ओडिशा	2.62	3.52	5.17	4.90	5.07
प.बंगाल	1.02	1.38	1.56	1.29	1.90
छत्तीसगढ़	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) 2016-17 के प्रतिशत लगभग एक समान ही रहा, जो सकारात्मक रुझान था। 2013-14 और 2015-16 (83 प्रतिशत) में

राजस्व व्यय कुल व्यय से अधिक था। 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का मौजूदा मूल्यों पर 20 प्रतिशत था।

2017-18 के दौरान ₹ 50,952 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से, ₹ 27,953 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए और ₹ 22,999 करोड़ राज्य और केंद्र की योजनाओं पर खर्च किए गए।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.21 और चार्ट 1.7, 2013-18 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.21: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वेतन* और मजदूरी, जिसमें गैर योजना शीर्ष	6,934(27)	7,417(24)	8,218(20)	8,927 (19)	11,221(21)
योजना शीर्ष	168(1)	224(1)	275(1)	278(1)	431(1)
ब्याज भुगतान	2,614(10)	2,929(9)	3,320(8)	4,172(9)	4,662(9)
पेंशन	3,484(13)	3,463(11)	3,990(10)	4,135(9)	5,913(11)
सब्सिडी	187(1)	246(1)	522(1)	1,859(4)	1,440(3)
कुल	13,219(51)	14,055(45)	16,050(39)	19,093(41)	23,236 (44)

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वेतन

वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 11,221 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,662 करोड़) और पेंशन (₹ 5,913 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 42.78 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 41.31 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय सुरक्षा भंडार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2017-18 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 383.16 करोड़ एन.एस.डी.एल. में अंतरित किया गया। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान एन.एस.डी.एल. में कर्मचारियों के योगदान के रूप में ₹ 386.29 करोड़ की कुल प्राप्ति में से ₹ 382.47 करोड़ हस्तांतरित किए और 2017-18 के अंत में सार्वजनिक खाते में ₹ 13.52 करोड़⁶ का संतुलन छोड़ दिया (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित योगदान पेंशन योजना) कर्मचारियों के योगदान के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को रा.पे.यो. के तहत एनएसडीएल द्वारा निवेशित शेष राशि उनके हक से वंचित कर दी गई है।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में ₹ 199 करोड़ (8 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि के कारण 12 प्रतिशत था। और पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आंतरिक ऋण पर ₹ 287 करोड़ (75 प्रतिशत) ब्याज था। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था।

2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.22 में दिये गये हैं:

⁶ ₹ 9.70 करोड़ के आरंभिक शेष सहित

तालिका 1.22: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	1 अप्रैल 2017 को बकाया दायित्व	2016-17		31 मार्च 2018 को बकाया दायित्व	2017-18	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	43,755.57	3,817.29	8.72	48,682.31	4,330.05	8.89
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,085.49	118.50	5.68	2,162.28	116.18	5.37
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,197.17	229.21	19.15	1,075.67	213.68	19.86
अन्य	9,492.00	7.25	0.08	14,906.70	1.77	0.01
कुल	56,530.23	4,172.25	7.38	66,826.96	4,661.68	6.98

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

सब्सिडी

2017-18 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹ 827 करोड़), 2401-फसल उत्पादन (₹ 398 करोड़), 2852-उद्योग (₹ 62 करोड़), के अंतर्गत ₹ 1,440 करोड़⁷ सब्सिडी के रूप में भुगतान किया। सब्सिडी 2013-14 में ₹ 187 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,859 करोड़ हो गया जो 2017-18 में घटकर ₹ 1440 करोड़ हो गया। 2017-18 में ₹ 419 करोड़ की कमी मुख्यतः चीनी/नमक (₹ 208 करोड़), प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (₹ 24 करोड़), अंत्योदय अन्न योजना (₹ 2 करोड़) और धान खरीद पर बोनस (₹ 2 करोड़) का वितरण शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति के तहत कम सब्सिडी के कारण हुआ। बिजली और सिंचाई के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2017-18 के दौरान, राज्य योजना (रा.यो.) अंतर्गत 35 मुख्य विशेष कार्यक्रमों के लिए ₹ 16,709 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 15,408 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹ 8,575 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 10,461 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.23 में दर्शाये गये हैं:

⁷ वित्त लेखा 2017-18 का परिशिष्ट II

तालिका 1.23 वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	3,978.52	3,812.46
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम -ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,107.09	1,082.18
3	संचरण हेतु झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण	1,079.03	1,079.03
4	इंदिरा आवास योजना - सामान्य वर्ग के लिए योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण)	883.75	883.75
5	सर्व शिक्षा अभियान	620.00	400.00
6	मुख्य शहरी परिवहन परियोजना व नगरीय आधारभूत संरचना	555.00	555.00
7	ग्रामीण स्वच्छता	542.05	480.72
8	प्राथमिकता घरेलू योजनाएँ	497.45	497.86
केन्द्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	546.21	546.21
2	स्वच्छ भारत अभियान (सी.एस.एस.)	116.53	116.53
3	स्मार्ट सिटी (सी.एस.एस.)	204.00	204.00
4	शहरी कायाकल्प मिशन (सी.एस.एस.)	123.59	123.59

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखा 2017-18 का परिशिष्ट-V

1.6.5 वित्तीय सहायता

2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.24 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.24: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	910.68	3,378.42	3,407.48	2,533.77	1,270.13
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	88.38	1,619.77	1,830.77	2,961.14	1,155.11
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1,528.89	3,643.86	3,987.54	0.00	0.00
स्वायत्त निकाय	2,451.34	2,512.95	5,480.60	7,942.59	11,431.05
गैर-सरकारी संस्थाएँ	106.65	684.99	0.00	0.00	0.00
अन्य	1,335.91	564.03	184.53	6,894.52	6,857.70
कुल	6,421.85	12,404.02	14,890.92	20,332.02	20,713.99
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	27.36	39.01	40.74	45.09	40.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखों का विवरणी-10

श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता इस उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट '3604-श.स्था.नि. एवं पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता' शीर्ष के बजाय शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमित सेवा शीर्षों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 48 श.स्था.नि. (नगर निगम-9, नगर परिषद-20, नगर पंचायत-18, तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-1) हैं।

श.स्था.नि. को उपलब्ध करायी गयी निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.25 में दिये गये हैं:

तालिका 1.25: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756	198,150
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952	187,861
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	88	1,620	1,831	2,961	1,155.11	7,655.11
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	0.34	5.13	4.51	6.29	2.19	3.86
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	0.37	5.10	5.01	6.57	2.27	4.07
स्वयं का संग्रह ⁸	45.54	8.96	14.99	60.09	184.55 ⁹	314.13

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.4 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था। डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

⁸ नगर विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की अपने स्रोतों से संग्रहित निधियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान सूचना प्राप्त की गयी।

⁹ 39 शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त स्वयं का कर संग्रहण। 2017-18 के दौरान दो नगर परिषदों (चिरकुंडा एवं फुसरो), छः नगर पंचायतों (बचरा, बड़की सरैया, बड़हरवा, छतरपुर, डोमचांच एवं धनवार) और जुगसलाई अधिसूचित क्षेत्र समिति का लेखापरीक्षा नहीं हुआ।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ¹⁰ हैं। 2013-18 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे तालिका 1.26 में दिये गये हैं।

तालिका 1.26 पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756	1,98,150
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952	1,87,861
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	911	3,378	3,407	2,534	1,270	11,500
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	3.49	10.70	8.38	5.39	2.41	5.80
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	3.88	10.62	9.32	5.62	2.49	6.12

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि परिशिष्ट 1.4 भाग-ख में दर्शाया गया है। कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

पं.रा.सं. का लेखापरीक्षा डी.एल.एफ.ए और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा उसी तरह से किया जाता है जिस तरह कंडिका 1.6.5.1 के तहत चर्चा की गई है।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

2017-18 में विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 73 प्रतिशत था जबकि यह वर्ष 2016-17 में 76 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2013-14 को आधार वर्ष मानते हुए 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.27 विश्लेषित करता है।

¹⁰ 24 जिला परिषद, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें

तालिका 1.27: 2013-14 और 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. #/ कु.व्य.	आ.से.व्य. /कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013- 2014	14.7	66.5	28.9	37.6	13.6	17.2	4.5
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2013- 2014	15.1	64.3	32.1	32.2	14.8	14.3	4.0
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	16.1	67.9	29.6	36.7	14.4	15.5	4.9
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2017-18	25.4	73.1	40.5	32.6	18.5	12.9	4.4

*वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पू.व्य.: पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय एवं संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 28 अगस्त 2018 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2017-18 में कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा: सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.28 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.28: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट आकलन *	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	13,512(48)	21,171(55)	24,551(47)	32,065(56)	41,262	34,535(53)
विकास पूँजीगत व्यय	4,554(16)	5,217(14)	7,588(15)	10,271(18)	11,926	11,148(17)
विकास ऋण एवं अग्रिम	209(1)	807(2)	7,431 ¹¹ (14)	1,283(2)	1,923	1,796(3)
कुल	18,275	27,195	39,570	43,619	55,111	47,479
विकास व्यय की वृद्धि	(-)5.4	48.8	45.5	10.2	-	8.8

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्य + पू.व्य. + ऋण एवं अग्रिम) के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*बजट अनुमान और वास्तविक दोनों सकल आँकड़े हैं।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन 2017-18

¹¹ उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 5,553 करोड़ का ऋण.

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.29 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.29: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2016-17			2017-18		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.*		कु. व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा वे. एवं म. सं. व र.	
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.39	37.51	0.00	0.01	49.72	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21.42	38.13	0.00	10.83	32.17	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	7.96	3.29	0.27	10.14	3.33	0.10
कुल (सा.से.)	7.61	21.72	0.11	7.23	25.94	0.25
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	20.47	18.13	0.09	23.15	18.50	0.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	82.39	95.98	2.17	80.92	95.85	1.5
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	1.47
परिवहन	90.99	24.22	26.01	90.64	25.52	27.53
कुल (आ.से.)	37.21	9.84	3.21	36.71	10.68	2.84
कुल (सा.से.+आ.से.)	23.55	16.72	1.42	23.55	19.36	1.37

कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पू.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय;

वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह

विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा 2017-18

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय से वेतन का अनुपात 2016-17 में 37.51 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 49.72 प्रतिशत हो गया, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राजस्व व्यय से वेतन 2016-17 में 38.13 प्रतिशत से घट कर 2017-18 में 32.17 प्रतिशत हो गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, झारखण्ड सरकार द्वारा किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार 2017-18 के अंत तक झारखण्ड में ₹ 1,982.10 करोड़ के कुल पूँजीगत परिव्यय के साथ 42 सिंचाई परियोजनाएँ हैं, जिसमें से ₹ 1,720.06 करोड़ इन परियोजनाओं पर कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव

शुल्कों पर खर्च किया गया। 2017-18 के दौरान, इन परियोजनाओं से राजस्व के रूप में ₹ 48.78 करोड़¹² प्राप्त हुए।

अनुशंसा : राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2018 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.30 में दी गयी है।

तालिका 1.30: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2017 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	4	413.67	244.10
पेय जल एवं स्वच्छता	4	55.16	22.49
पथ निर्माण	48	1,789.44	1,032.61
ग्रामीण कार्य	4	34.69	17.36
जल संसाधन	53	179.61	86.10
कुल	113	2,472.57	1,402.66

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18 का परिशिष्ट IX

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 113 परियोजनाओं में से, केवल छः¹³ परियोजनाओं का संशोधित लागत उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार इन छः परियोजनाओं का ₹ 231.10 करोड़ का अनुमानित लागत परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण बढ़कर ₹ 1,074.16 करोड़ हो गया। चूँकि विभागों द्वारा शेष 125 परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए वित्त लेखे में इनकी संशोधित लागत नहीं दर्शाया गया और सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

जल संसाधन विभाग के तहत पुनासी बाँध के निर्माण के विश्लेषण से पता चला कि यह परियोजना जनवरी 1982 में ₹ 26.09 करोड़ के अनुमानित लागत से शुरू हुई थी और मार्च 1990 तक पूरी की जानी थी। अनुमानों के अनुसार, परियोजना के पूर्ण होने पर, 15,384 हेक्ट. खरीफ भूमि और 8,907 हेक्ट. रबी भूमि की सिंचाई की जा सकती थी। हालाँकि, मई 2019 तक, काम पूरा नहीं हुआ था और अनुमान की तीसरे संशोधन में परियोजना की लागत ₹ 797.72 करोड़ तक बढ़ा दी गई। परियोजना को समय पर पूरा न करने के कारण लागत वृद्धि मूल अनुमान का 2,958 प्रतिशत थी।

¹² विविध राजस्व

¹³ पुनासी जलाशय, कोनार मुख्य नहर, स्वर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर, हरिणचारा से बरहेट रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, मिर्जाचौकी-बोआरीजोर-सिमरा रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण, शोभनपुर भट्टा से राजगाँव रोड का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण

मई 2019 के अंत में, बाँध कार्य, उबड़-खाबड़ मार्ग, नहर और वितरिका की भौतिक प्रगति क्रमशः 80 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थी।

यह भी देखा गया कि धन की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, वन मंजूरी आदि के कारण 1990 से 1998 और 2001 से 2012 की अवधि के दौरान लंबे समय तक काम बंद रहा।

इस प्रकार, परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल लागत में भारी वृद्धि हुई, बल्कि भूमि की सिंचाई का अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ (मई 2019)।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए। सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संशोधित अनुमान प्राथमिकता पर तैयार व अनुमोदित किया जाना चाहिये ताकि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधियों का यथार्थवादी आकलन हो।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2018 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹ 376.87 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 15 सरकारी कम्पनियों (₹ 170.80 करोड़) एवं 19 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹ 160.34 करोड़) में किया (तालिका 1.31)। तथापि, 2016-17 के दौरान सा.क्षे.उ. लेखाओं और राज्य के संस्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान उद्घटित हुआ कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान सरकारी लेखाओं में निवेश को ₹ 124.54 करोड़ कम दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद राज्य के वित्त विभाग ने 2017-18 के दौरान तीन कंपनियों से संबंधित ₹ 50 करोड़¹⁴ की निवेश राशि को समाशोधित और ठीक किया जिसने चालू वित्त वर्ष के अंत में पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 74.54 करोड़¹⁵ के बिना असमायोजित निवेश को घटा दिया।

¹⁴ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़ और झारखण्ड सिल्क टेक्स्टाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़

¹⁵ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकार ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹ 2 करोड़; झारखण्ड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड - ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़।

तालिका 1.31: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	226.22	241.25	261.70	320.83 ¹⁶	376.87
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	18.00	शून्य	0.47	शून्य	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत में)	7.76	शून्य	0.18	शून्य	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.22	7.22	6.63	6.76	6.98
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	0.54	7.22	6.45	6.76	6.98
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि	1.22	17.42	16.88	21.69	26.31

स्रोत : 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेख - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 83.52 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2017-18 में ₹ 26.31 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। इस कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है। अपने निवेशों पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 23.50 करोड़ का निवेश किया।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक सरकारी कंपनियों, को-ऑपरेटिव संस्थाओं व स्थानीय निकायों, वैधानिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों में किये गये निवेश (₹ 2,389.55 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.32 31 मार्च 2018 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,748	7,947	8,738	16,187	17,482*
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	222	824	7,480	1,335	1,852
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	23	33	31	39	42
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
अंतशेष	7,947	8,738	16,187	17,483	19,292
निवल योग (₹ करोड़ में)	199	791	7,449	1,297	1,809
कुल ब्याज प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.74	15.72	4.33	3.88	87.66
ब्याज प्राप्तियाँ, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.03	0.20	0.05	0.02	0.50
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर	7.22	7.22	6.63	6.76	6.98
बकाया ब्याज	797.72	875.44	903.98	1,009.20	1,044.09
बकाया ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में बकाया	10.30	11.01	10.35	6.23	5.97

स्रोत : संबंधित वर्ष के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*लगभग होने के कारण समायोजित किया गया।

¹⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के साथ समाशोधन के बाद संशोधित राशि

मार्च 2018 के अंत तक कुल बकाया ऋणों (₹ 19,292 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कॉम्स को (₹ 18,444 करोड़) और शहरी स्थानीय निकाय (₹ 706 करोड़) को ऋणों से संबंधित है।

मार्च 2018 के अंत तक ऋणदाता संस्थाओं का ऋण बकाया ₹ 2,378 करोड़ (मूलधन-₹ 1,334 करोड़ तथा ब्याज-₹ 1,044 करोड़) हो गया हालाँकि, 2015-16 के दौरान उदय के तहत डिस्कॉम कंपनियों को ऋण के कारण, राज्य सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज का प्रतिशत 2016-17 और 2017-18 के वर्षों में कम था।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) को दिया गया ऋण पूँजीगत क्षेत्र के बजाय राजस्व क्षेत्र के तहत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखाओं में कम बताया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्त के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.33: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
रोकड़ शेष	1,947.85	150.44
रोकड़ शेष से निवेश ('क' से 'ग' तक)	1,439.09	354.56
क. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	1,439.09	354.56
ख. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
ग. अन्य निवेश	शून्य	शून्य
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	117.01	78.57
रिजर्व बैंक में जमा	502.26	-242.16
विभागीय रोकड़ शेष	6.50	38.04


स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

रोकड़ शेष को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषागार विपत्रों में निवेश किया गया।

लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों {₹ 242.16 करोड़ (क्रेडिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक {(₹ 22.92 करोड़ (डेबिट))} द्वारा सूचित आँकड़ों के बीच ₹ 219.24 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राँची के समक्ष उठाया गया है।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 6,000 करोड़ की खुली बाजार उधारी जुटाने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने नौ राज्य विकास ऋणों के माध्यम से 7.27 प्रतिशत से लेकर 8.08 प्रतिशत प्रति वर्ष तक के ब्याज दरों पर धन उधार लिया।

अंतर-माह के उतार-चढ़ाव के बाद, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में राज्य का नकद शेष ₹ 150 करोड़ पर आ गया जैसा कि चार्ट 1.8 में दिखाया गया है:



1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन


सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2017 के तदनुरूप स्थिति से तुलना करते हुए **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयी हैं। 2016-17 एवं 2017-18 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.9 : मार्च 2017 एवं मार्च 2018 के अंत में बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: 2016-17 और 2017-18 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.34: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	सी.ए.जी.आर.
आंतरिक ऋण	27,940	32,755	43,756	48,682	53,799	17.80
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,092	2,087	2,085	2,162	2,233	1.64
लोक लेखे दायित्व	7,562	8,727	10,689	15,982	21,063	29.25
कुल राजकोषीय दायित्व	37,594	43,569	56,530	66,826	77,095	19.67
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	7.8	15.9	29.7	18.2	15.4	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	19.9	19.9	27.4	28.4	30.2	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	143.83	138.03	139.1	142.0	146.1	लागू नहीं

स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (25.77 प्रतिशत) की तुलना में 2017-18 में 30.20 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तराधिकारी राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा: राज्य के राजकोषीय मापदंडों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त करने हेतु राज्य को कदम उठाना चाहिए।

1.9.3 हास निधि

2016-17 के दौरान बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास 2017-18 के प्रारंभ तक ₹ 66,826 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹ 334.13 करोड़ की राशि अंतरित करना अपेक्षित था। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 247 करोड़ का बजट प्रावधान किया, तथापि निधि में राशि अंतरित नहीं की गयी।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2010 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधि की राशियों को राज्य द्वारा (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी ट्रेजरी बिल तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 के निधि के शेष को (₹ 1,259.29 करोड़) निवेश नहीं किया गया।

अग्रतर, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतेय ब्याज (8.08 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करना था जिसे स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जो 2010-18 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर ₹ 505.37 करोड़ परिकल्पित होता है। इसमें से, अकेले 2017-18 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 101.74 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। 31 मार्च 2018 को एस.डी.आर.एफ. में अंत शेष ₹ 1,551.04 करोड़ था। परिणामस्वरूप, निधि में शेष केवल बुक एंट्रीज हैं और यह वास्तविक रोकड़ शेष नहीं दर्शाता है। निधि के प्रचालन के बाद से इस तरह का भुगतान न किया गया ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य को एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि में पड़ी राशियों का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तथापि, निधि सृजित नहीं की गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता¹⁷ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण स्थिरीकरण¹⁸, गैर-ऋण प्राप्तियों¹⁹ की पर्याप्तता, उधार ली गयी निधियों²⁰ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

तालिका 1.35 वर्ष 2013-14 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहनीयता का विश्लेषण करता है।

¹⁷ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁸ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

¹⁹ वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें।

²⁰ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उस सीमा को इंगित करता है जिस तक ऋण प्राप्तियाँ, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग में लाये जाते हैं।

तालिका 1.35: ऋण वहनीयता : सूचक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहनीयता के सूचक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	19.9	19.9	27.4	28.4	30.2
वृद्धिशील गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	1,275	(-),2,885	4,313	(-),2,113	(-),131.54
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	110	3,046	9,641	6,224	5,606
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	10	9.28	8.17	8.87	8.84

स्रोत-संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

*फार्मूला परिशिष्ट 1.6 में है।

2017-18 के दौरान, 30.20 प्रतिशत का ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात 14वें वि.आ. द्वारा मानक अनुमान के रूप में निर्धारित (25.77 प्रतिशत) से अधिक था। यह एम.टी.एफ.पी. दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (26.65 प्रतिशत) से भी काफी अधिक था। संसाधन अंतराल में महत्वपूर्ण अंतर्वार्षिक उतार चढ़ाव 2013-18 अवधि के दौरान राज्य द्वारा गैर ऋण प्राप्तियों के अस्थिर संग्रहण को इंगित करता है।

तालिका 1.36 : उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति ²¹	12,840	19,808	28,482	19,193	25,206
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	12,730	16,762	18,841	12,969	19,599
उपलब्ध निवल निधि	110	3,046	9,641	6,224	5,607
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति को उपलब्ध निवल निधि का प्रतिशत	0.86	15.38	33.85	32.43	22.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

उधार राशि की निवल उपलब्धता 2015-16 के ₹ 9,641 करोड़ से धीरे धीरे घटकर 2017-18 में ₹ 5,607 करोड़ हो गई। 2017-18 के दौरान, उधार ली गई निधियों में मुख्य योगदानकर्ता आंतरिक ऋण (₹ 7,905 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 1,526 करोड़) थे।

2017-18 के दौरान, सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सार्वजनिक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गयी निधियों की कम उपलब्धता थी।



उधारी के तहत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2016-17 में 32.43 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 22.24 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान राज्य में पूँजीगत कार्यों के लिए उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता का संकेत था।

²¹ छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 1,016.42 करोड़); ब्याज वाले आरक्षित निधि (₹ 401 करोड़); ब्याज वाले जमा (₹ 386.30 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 15,264.96 करोड़)

1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 एवं चार्ट 1.11 वर्ष 2013-18 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



मुख्यतः मूल बजट अनुमानों (सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,604 करोड़ और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 3,265 करोड़) की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण राज्य 2017-18 में ₹ 1,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य दिखाने में सफल रहा।

2016-17 एवं 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत घटा जबकि राजस्व व्यय की वृद्धि दर 23 प्रतिशत और 13 प्रतिशत बढ़ा जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान राजस्व आधिक्य में कमी

हुई। राजस्व व्यय की उच्चतर वृद्धि दर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, ऊर्जा इत्यादि जैसी सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण था।

2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, राज्य के अपने राजस्व की वृद्धि दर क्रमशः 18 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत था।

राज्य ने 2013-18 के दौरान, 2014-15 के अतिरिक्त, राजस्व घाटे को 'शून्य' तक घटाने के लक्ष्य (राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार) को प्राप्त कर लिया। राज्य ने 2017-18 में एम.टी.एफ.पी. में इंगित 2.77 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध 0.71 प्रतिशत का स.रा.घ.उ. से राजस्व आधिक्य अनुपात प्राप्त किया। बजट दस्तावेज में निर्धारित 2.49 प्रतिशत के लक्ष्य तथा 14वें वित्त आयोग के 3.25 प्रतिशत मानक के विरुद्ध मार्च 2018 के अंत तक स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा अनुपात 4.67 प्रतिशत था।

अंतर्वाषिक उतार-चढ़ाव के पश्चात, 2017-18 में प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का (-)2.85 प्रतिशत था।

अनुशंसा: सरकार को 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मानक अनुमानों के साथ साथ बजट दस्तावेजों में अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।